

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
जुनिपर ग्रीन स्टेलर प्राईवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत सुनिल बोड़ा पुत्र ओमप्रकाश बोड़ा जाति ब्राहमण, निवासी वैशाली नगर जयपुर वगैरा (04)		रतन कंवर पत्नी कानसिंह जाति राजपुत, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (03)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (53, 188)

मुकदमा नम्बर 132/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

18.07.2025

वादी/प्रार्थी के अधिवक्ता श्री अमयसिंह राठौड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 04.08.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

4119
21-7-25

4.8.25

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इत्यादि होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 25-8-25 को पेश हो।

25.08.25


पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित।
प्रतिवादीगण के नोटिस व डिपोजिट रिपोर्ट प्राप्त।
प्रतिवादी संजम। का पुनः नोटिस प्राप्त हुआ।
किन्तु उक्त पत्रे पर निगम नहीं होगा बल्कि
पत्रावली वास्ते प्रतिवादी संजम। के
सही पत्रे पर पुनः तामिली हेतु दिनांक
04.09.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

5857
20-8-25

29.09.15


पत्रावली पेशा वादी वकील उपस्थित।
पत्रावली वापस व RDR शिव से विक्रयान्त
प्रस्ताव का इंतजार होकर दिनांक 03.10.15
को पेश हो।


सहायक कलक्टर
शिव (वाड़मेर)

03.10.15

पत्रावली पेशा वादी वकील उपस्थित।
RDR शिव से विक्रयान्त प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त।
विक्रयान्त प्रस्ताव रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट
है कि वादग्रस्त आराजी का पूर्व में सहमति
विक्रयान्त हो चुका है। अतः वादग्रस्त आराजी
का पूर्व में सहमति विक्रयान्त हो जाने तथा
वादीमूल द्वारा चाहा गया भूमि विक्रयान्त का
अनुमोदन प्राप्त हो जाने से उक्त वाद इसी
स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फॉलत शुमार होकर नम्बर से
कम होकर दायित्व रद्द हो।


सहायक कलक्टर
शिव (वाड़मेर)